संख्या-1/2015/क0नि0-4--1311/11-14-300(12)/2014

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 19 फरवरी, 2015

विषय:- जनपद कन्नौज में वाणिज्य कर कार्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-कन्नौज-03/कार्यालय भवन -निर्माण/2014-15/540/वाणिज्य कर, दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत रू0-3,76,85,788.00 (रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख पच्चासी हजार सात सौ अट्ठासी मात्र) लागत के आगणन के सापेक्ष आंकलित लागत रू0 3,27,20,000.00 (रूपये तीन करोड़ सत्ताइस लाख बीस हजार मात्र) पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) प्रथम किस्त के रुप में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं।

1. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा ।

2. प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा।

4. डी0पी0आर0 बनाते समय परियोजना की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था द्वारा शासन को तीन माह के भीतर अवगत कराते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिशिचत किया जाए।

6. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/ आयुक्त वाणिज्य कर का होगा।

7. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति / द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-89-के लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-06-जनपद कन्नौज में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण- 24-वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.14 में जारी निर्देशों के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-1/2015-क0नि0-4- 1311(1)/11-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमद्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथमद्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, कन्नौज वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
4- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, कन्नौज।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।